DIRECT SELLING DISTRIBUTORS WELFARE ASSOCIATION
(Registration No. S/RS/SW/0880/2013)
109, First Floor, Vardhman Key Point Plaza, Plot No. 1, Sector 6, Local Shopping Centre
(Near DAV Public School), Dwarka, New Delhi-110075
Ph.: 011-43071768 I Email: admin@dsdwa.org I URL: www.dsdwa.org

दिनांक 07 मई 2013

प्रेस नोट

डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स वेलफ़ेयर एसोसिएशन (डीएसडीडब्ल्यूए) ने जन्तर मन्तर, नई दिल्ली पर देश भर में फैले 7 करोड़ से अधिक डायेरक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटरों के प्रतिनिधियों की एक महा सभा आयोजित करके डायरेक्ट सेलिंग उद्योग की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। इस सभा में दस हज़ार से अधिक लोगों की उपस्थिति में माननीय प्रधानमंत्री जी व कई अन्य मंत्रालयों को डायरेक्ट सेलिंग उद्योग के लिए कानून बनाने के लिए ज्ञापन दिया गया। इस कार्यक्रम में फ़ेडरेशन ऑफ़ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री ए पी रेड्डी व जनरल सेक्रेटरी श्री किशोर वर्मा उपस्थित थे।

डीएसडीडब्ल्यूए डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटरों की एक संस्था है जो भारत में काम कर रहे सभी डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटरों का प्रतिनिधित्व करती है तथा उनके हितों की रक्षा करती है। साथ ही साथ डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर गलत तरीके से व्यवसाय करने वालों के बारे में जानकारी भी देती है।

संस्था के अध्यक्ष श्री सुरेन्द्र वत्स ने सही तरीके से काम करने वाली डायरेक्ट सेलिंग कम्पनियों की समस्याओं की चर्चा की। उन्होंने कहा कि नब्बे के दशक में भारत में आए इस व्यवसाय के लिए ओर सरकार ने किसी प्रकार की रेगुलेटरी अथॉरिटी या कानून बनाने की ओर ध्यान नहीं दिया। किसी भी प्रकार की गवर्नेन्स न होने के कारण बहुत से लोग इस व्यवसाय में मनमानी की और डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर तमाम मनी सर्कुलेशन स्कीमों के ज़रिए लोगों से पैसा निकलवाया और डायरेक्ट सेलिंग उद्योग को क्षति पहुंचाई।

कई मंत्रालयों से आरटीआई के जवाब से जानकारी मिली है कि इस आधुनिक व्यवसाय का नियमन सन् 1872, 1930 तथा 1978 के बनाए एक्ट के अन्तर्गत किया जाता है। गौरतलब है कि ये सभी एक्ट उस समय बनाए गए थे जब देश की अर्थव्यवस्था बंद तरीके से काम करती थी। इसलिए आधुनिक व्यवसाय के उचित नियमन के लिए ये सभी एक्ट पुनः परिभाषित किए जाने चाहिएं।

उन्होंने कहा कि समय आ गया है जब सरकार को डायरेक्ट सेलिंग उद्योग के द्वारा लोगों को उनके मूल निवास पर स्व–रोजगार देने, स्त्री सशक्तीकरण तथा देश में जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए इस व्यवसाय के लिए नियम–कानून की विशेष व्यवस्था करनी चाहिए।

सभा के अंत में सरकार से अपील की गई कि अति शीघ्र इस व्यवसाय के लिए नियम कानून बनें ताकि 7 करोड़ से अधिक जनता के लिए स्व–रोजगार की राह बंद न हो और आम जनता सड़क पर आकर प्रदर्शन करने पर मजबूर न हो जाए।

सुरेन्द्र वत्स
प्रेसिडेंट, डीएसडीडब्ल्यूए
मो.: 9015897768
ऑफिसः 011–43071768